

15/10/19

वकील वादी अपवकील वादी को प्रति सं. 3, 4, 8 ला 12 की तस्वीरें देव तस्वीर पेश कले देव दिनांक 12/11/19, 17/11/19, 11/12/19, 14/12/19, 21/12/19, 22/1/20, 3/2/20, 5/2/20, 7/2/20, 11/2/20 व 11/3/20 को अवसर दिये गये वकील वादी के दिनांक 15/10/19 को शिष्टाक्षर एव तस्वीर पेश कले देव न्यायाधिकार से एक ओर अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने तस्वीर देव तस्वीर पेश नहीं किये गये। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 5 R 9 जावदी के तहत अदम तकमील (NON-Complicated) मे श्रावित किये जाता है पञ्चवकीलनम्बर से कम बकावाद तकमील दाविलक दफ्तर वा सुनाया गया *Shyam*

2012

677

अंक 2037

सहायक कलक्टर
अलवर (राज.)

